बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। आदेश ।।

आदेश संख्या–3 / एम०–11 / 2020सा0प्र0 4006 / पटना–15 दिनांक– 19.3.2020

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों की संख्या को सीमित करने तथा संबंधित अधिकारी से मिलने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही लोगों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः किसी व्यक्ति को मुख्य सचिवालय, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, टेक्नोलोजी भवन एवं सूचना भवन सचिवालय में सामान्य आगंतुकों के लिए वर्तमान समय में लागू प्रवेश पास की व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जाता है।

3. यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवनों में किसी अधिकारी से मिलना आवश्यक हो, तो संबंधित अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों, से दूरभाष पर या अन्य प्रकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर एवं साक्षात्कार का समय लेकर ही सचिवालय में आवें। ऐसे व्यक्तियों को सचिवालय में प्रवेश हेतु प्रवेशद्वार पर प्रवेश पास तभी निर्गत किया जायेगा जब संबंधित अधिकारी, जिन्होंने साक्षात्कार हेतु समय दिया है, के द्वारा प्रवेश द्वार पर इसकी पूर्व सूचना उपलब्ध करा दी गयी हो।

4. यह व्यवस्था तत्काल दिनांक–19.03.2020 से दिनांक–31.03.2020 तक लागू रहेगी।

19/3/20

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 3 / एम०–11 / 2020सा0प्र0 4006 / पटना–15 दिनांक– 19.3.2020

प्रतिलिपि–(1) पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय सुरक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उक्त सूचना सभी सचिवालय भवनों के मुख्य प्रवेश द्वारों पर लिखित रूप से प्रदर्शित की जाय।

(2) मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/20

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव